



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270910
CG-DL-E-13032026-270910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1209]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1209]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1261(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः

तालिका

(1)	(2)	(3)
"22	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 38 [केवल वेल्लोर से विल्लुपुरम खंड (केवल 142 किमी)], सं. 42, सं. 75, सं. 181, सं. 336 [त्रिची-कराईकुडी खंड (पुराना एनएच-210) को छोड़कर], सं. 381, सं. 381ए, सं. 381बी, सं. 383 [डिंडीगुल-कोट्टमपट्टी खंड (38.00 किमी) को छोड़कर], सं. 532 और सं. 648 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं।	तमिलनाडु राज्य सरकार".

[फा. सं. एनएच/14013 -7पी एंड एम-2025/]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांक 04 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार का.आ.-873(अ), दिनांक 17 फरवरी, 2026 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1261(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of New National Highway No. 38 [Vellore to Vilupuram section (142km) only], No. 42, No. 75, No. 181, No. 336 [excluding Tirchy-Karaikudi section (old NH-210)], No. 381, NH No. 381A, No. 381B, No. 383 [excluding Dindigul-Kottampatty Section (38.00km)], No. 532 and No. 648 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”.

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:- The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 873(E), dated the 17th February, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1262(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-948 (पुराना एनएच- 209)	कर्नाटक/ तमिलनाडु सीमा-कोयंबटूर खंड	तमिलनाडु राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
एनएच85-	केरल/ तमिलनाडु सीमा से थोड़ी तक	तमिलनाडु राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
एनएच-81 (पुराना एनएच-67)	कोयंबटूर - करूर खंड (तमिलनाडु राज्य में)	115 किमी

[फा. सं. -2025/7/14013पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1262(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
NH-948(Old NH-209)	Karnataka/Tamilnadu Border–Coimbatore Section	Entire NH in the State of Tamil Nadu
NH-85	Kerala/TN Border to Thodi	Entire NH in the State of Tamil Nadu
NH-81 (old NH-67)	Coimbatore – Karur Section (In the State of Tamil Nadu)	115 km

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1263(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 12 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 199 (अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

32	नागापट्टिनम से तूतीकोरिन खंड (तमिलनाडु राज्य में)	279.13 किमी (लगभग)
----	--	--------------------

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

32	नागापट्टिनम – तूतीकोरिन- कन्याकुमारी खंड (तमिलनाडु राज्य में)	409.13 किमी
----	--	-------------

[फा. सं. एनएचपी एंड एम-2025/7/14013 -]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 199 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1263(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 199(E), dated the 12th January, 2023, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

32	Nagapatinam to Tuticorin Section (In the State of Tamil Nadu)	279.13 km (Approx.)
----	---	----------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

32	Nagapatinam - Tuticorin -Kanyakumari Section (In the State of Tamil Nadu)	409.13 km
----	---	------------------

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note - The principal notification was published vide number S.O. 199(E), dated the 12th January, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1264(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4557 (अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

एनएच-49 (नई एनएच-85 और 87)	मदुरै-परमकूडी-रामनाथपुरम खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 5.000 से किमी 120.484
-------------------------------	--	----------------------------

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

87	यह राजमार्ग तिरुप्पुवनम के निकट एनएच-38 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर मानमादुराई, रामनाथपुरम, रामेश्वरम को जोड़ता है और तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी में समाप्त होता है।	तमिलनाडु राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
----	---	---

[फा. सं. एनएचपी एंड एम-2025/7/14013 -]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 4557 (अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1264(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4557(E), dated the 17th October, 2023, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-49 (New NH-85 and 87)	Madurai- Paramakudi- Ramanathapuram section (In the State of Tamil Nadu)	Km 5.000 to km 120.484
-----------------------------	---	---------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

87	The highway starting from its junction with NH-38 near Tiruppuvanam connecting Manamadurai, Ramanathapuram, Rameswaram and terminating at Dhanushkodi in the State of Tamil Nadu.	Entire NH in the State of Tamil Nadu
----	---	--------------------------------------

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 4557(E), dated the 17th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1265(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 25 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1883 (अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

एनएच-136	तंजावुर - पेरम्बलूर खंड (तमिलनाडु राज्य में)	66.200 किमी
----------	---	-------------

निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के तहत प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

एनएच-136	यह राजमार्ग तमिलनाडु राज्य में तंजावुर के निकट एनएच-36 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तिरुवैयारु, कुन्नम, पेरेली, पेरम्बलूर बाईपास, नाडुवलूर थोडावुर, कृष्णापुरम, वीपनथट्टई को जोड़ता है और अथू बाईपास के निकट एनएच-79 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है। (तमिलनाडु राज्य में)	तमिलनाडु राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
----------	---	---

[फा. सं. एनएच पी एंड-2025/7/14013 -एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1883 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1265(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1883(E), dated the 25th April, 2025, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-136	Thanjavur – Perambalur section (In the State of Tamil Nadu)	66.200 km
--------	--	-----------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

NH-136	The highway starting from its junction with NH-36 near Thanjavur connecting Thiruvaiyaru, Kunnam, Pereli, Perambalur bypass Naduvalur, Thodavur, Krishnapuram, Veepanthattai and terminating its junction NH-79 at Athoor bypass in the state of Tamil Nadu. (In the State of Tamil Nadu)	Entire NH in the State of Tamil Nadu
--------	---	---

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1883(E), dated the 25th April, 2025.